झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010

(सभा द्वारा यथापारित)

सत्यमेव जयते

2010

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम की धारा - 4 में 'परन्तुक' का अन्तःस्थापन ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।

झारखण्ड गणराज्य के इकसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में निम्नांकित परन्तुक को निवेशित किया जायेगा, अर्थात् :-

झारखण्ड अधिनियम 9, 2001 की धारा 4 का संशोधन

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रवृत्त होने की तिथि और 31वीं मार्च, 2011 को समाप्त होने के बीच की अवधि में इस धारा के प्रावधान इस परिमार्जन के शर्त्ताधीन लागू होंगे कि वाक्यांश ''एक सौ पचास करोड़ रूपये'' को वाक्यांश ''सात सौ पचास करोड़ रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति :-

(i) निरसन :- झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (झारखण्ड अध्यादेश सं0-2, 2010) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(ii) व्यावृत्ति :- ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा अथवा अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अथवा कोई भी कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया या की गई समझी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन यह कार्य किया गया था अथवा कार्रवाई की गई थी ।

यह विधेयक झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2010 दिनांक 4 जनवरी, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 4 जनवरी, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (वित्त) 30--50 ।